भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2367

03 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

प्रोत्साहन प्राप्त और प्राथमिकता वाले सुधार

2367. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने प्रकृति आधारित समाधानों तथा क्षमता निर्माण में वृद्धि द्वारा भवन उपनियमों के आधुनिकीकरण, एकीकृत शहरी स्थान डिजाइन, नीले और हरित बुनियादी ढांचे के एकीकरण जैसे क्षेत्रों में सुधारों को प्रोत्साहित किया है और इन्हें प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लक्ष्य सेवाओं के अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने, परिचालन क्षमता में वृद्धि, डिजिटल प्रौद्योगिकी के समावेश और परिणाम आधारित प्रदर्शन ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र नीति पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): जी, हाँ। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी पूंजी निवेश 2022-23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना में शहरों में बुनियादी शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और तेजी लाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है - जिसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, समावेशी शहरों के लिए किफायती आवास, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) को अपनाए जाने, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) का कार्यान्वयन, पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) को अपनाने, स्पंज शहरों का निर्माण, इत्यादि को कवर करते हुए छह सुधारों की सिफारिश की थी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय ने पात्र राज्यों को 4093.16 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में 15,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस वर्ष सुधारों को और अधिक शहरों को शामिल करके व्यापक बनाया गया है। सुधार घटकों में राज्य और शहरी स्तर पर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मानव संसाधनों में वृद्धि, नगर नियोजन योजनाएं (टीपीएस)/भूमि पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, मास्टर प्लान में आवश्यक घटकों को एकीकृत करना (ब्ल्यू और ग्रीन इन्फ्रास्टरक्चर: कंटूर सर्वेक्षण और शहरी बाढ़ रोकथाम की योजनाओं सहित मास्टर प्लान के साथ मौजूदा जलाशयों की पहचान करना और एकीकृत करना, हरित सार्वजनिक स्थान, शहरी वन, लेकफ्रंट, रिवरफ्रंट, नहर फ्रंट, जगह बनाना आदि), शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना (जल निकायों, रिवरफ्रंट विकास, शहरी वनों का संरक्षण और नवीकरण) शामिल हैं।

(ग) और (घ): सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य के विषय हैं। भारत सरकार ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम और एसबीएम 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसे योजनाबद्ध उपायों के माध्यम से हस्तक्षेप किया है, जहां निष्पादन आधारित निगरानी और डिजिटल प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त वास्तविक इनफ्रास्टरक्चर के माध्यम से सक्षम सेवाओं के अंतिम छोर के संदर्भ में परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

****